



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14032026-270940
CG-DL-W-14032026-270940

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14—मार्च 20, 2026 (फाल्गुन 23, 1947)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14—MARCH 20, 2026 (PHALGUNA 23, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	77	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	277	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	243	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	721
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1713
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	77	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	277	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	243	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	721
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1713
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 मार्च 2026

संकल्प

सं. 11034/01/2023-राजभाषा(नीति)—राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 22.06.2023 का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 2025-26 से हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं हिन्दी में अनूदित पुस्तक हेतु संशोधित “राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना” लागू की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित श्रेणियों और विषयों पर पुरस्कार दिए जाएंगे:—

- (क) इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (ख) विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (घ) ‘ग’ क्षेत्र के लेखक द्वारा हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।
- (ङ) हिन्दी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार – कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।

2. नाम: इस योजना का नाम ‘राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना’ है।

3. परिभाषाएँ: इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

- (i) “योजना” का अभिप्राय है:- उपर्युक्त (क) से (ग) तक की श्रेणियों में उल्लिखित विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी में लिखित पुस्तक साथ ही संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों की हिन्दी में अनूदित पुस्तकों संबंधी “राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना”।
- (ii) “मौलिक” से अभिप्राय है:- मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई व प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक।
- (iii) “अनूदित” से अभिप्राय है - भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनूदित पुस्तक या अनूदित क्लासिक साहित्य की पुस्तक।
- (iv) “पुस्तक” से अभिप्राय है:- प्रकाशित पुस्तक।
- (v) “वर्ष” से अभिप्राय है:- (क) योजना वर्ष - वित्तीय वर्ष (ख) प्रकाशन वर्ष - कैलेंडर वर्ष।
- (vi) ‘ग’ क्षेत्र के लेखक से अभिप्राय है:—

(क) लेखक की मातृभाषा हिन्दी न हो।

(ख) लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा सम्बंधित ‘ग’ क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो। (‘ग’ क्षेत्र - पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)

(vii) अनुवाद के विषय से अभिप्राय है :—

- (क) संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों क्लासिक साहित्य एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिन्दी अनुवाद।
- (ख) इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।

4. उद्देश्य:

- (क) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में सरकारी कामकाज में तकनीकी विषयों पर भी कार्य किया जाता है। तकनीकी, विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर इत्यादि संबंधी विषयों एवं विधि के क्षेत्र में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आ रही है क्योंकि इन विषयों पर पुस्तकों की कमी है। साथ ही, इन विषयों की हिन्दी शब्दावली से कम परिचित अथवा परिचित नहीं होने के कारण सरकारी कामकाज को हिन्दी में करने में कार्मिकों को कठिनाई आती है।
- (ख) 'ग' क्षेत्र के लेखकों को हिन्दी में मूल लेखन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक नई श्रेणी शामिल की जा रही है।
- (ग) इसके अलावा अनुवाद अंग्रेजी तथा अनुसूचित भारतीय भाषाओं के ज्ञान व साहित्य को हिन्दी भाषी समुदाय तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण साधन है। विगत वर्षों में कई अच्छी अनूदित पुस्तकें भी प्राप्त होती रही हैं जिन्हें इस श्रेणी का पुरस्कार न होने की स्थिति में शामिल नहीं किया जा सका। माननीय गृह मंत्री जी की संकल्पना भारतीय भाषाओं और हिन्दी में समन्वय बढ़ाने की रही है। अतः इन पुरस्कारों के अंतर्गत अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों की एक नई श्रेणी को शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं उत्कृष्ट अनूदित कृतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग ने यह योजना आरंभ की है।
- (घ) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी से संबंधित अलग-अलग पुरस्कार योजना के लिए केवल राजभाषा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। भविष्य में किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा हिन्दी संबंधी अन्य पुरस्कार योजना शुरू करने से पूर्व राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से परामर्श करना अनिवार्य होगा, ताकि पुरस्कार योजना की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

5. पुरस्कार विवरण:

	पुरस्कार योजना का नाम	कुल पुरस्कारों की संख्या	देय राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
क	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹2,00,000/- (दो लाख रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		तृतीय पुरस्कार (एक)	₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (तीन)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ख	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ग	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

घ	'ग' भाषा क्षेत्र के लेखक द्वारा हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ङ	हिन्दी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार – कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

6. पात्रता:

- लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- पुस्तक उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित विषय पर लिखी अथवा अनूदित होनी चाहिए।

7. सभी श्रेणियों के लिए सामान्य शर्तें:

- पुस्तक के एक से अधिक लेखक/अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह-अनुवादक द्वारा अलग-अलग प्रपत्र (प्रोफॉर्मा) भरा जाए।
- योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए केवल वही पुस्तकें स्वीकार्य हैं जो लेखक/अनुवादक की मौलिक कृति/अनुवाद हो।
- किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। उपरि-विषयक योजना के अंतर्गत पुरस्कार की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया हो तो इसकी सूचना लेखक/अनुवादक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
- योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।
- पुस्तक की विषय-वस्तु समीक्षात्मक एवं विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। पीएचडी के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक अथवा पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी पुस्तक इस पुरस्कार योजना हेतु पात्र नहीं होगी।
- 'ग' क्षेत्र के लेखक से संबंधित शर्तें :—
 - लेखक की मातृभाषा हिन्दी न हो।
 - लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा सम्बंधित 'ग' क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो (प्रमाण के रूप में 10 वीं व 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति अपेक्षित है)। ('ग' क्षेत्र - पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य तथा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)
- अनुवाद की श्रेणी से संबंधित शर्तें :—
 - इसके अंतर्गत संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिन्दी अनुवाद शामिल है।
 - इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।
 - इस श्रेणी के तहत लेखक को अनूदित पुस्तक के साथ-साथ उसकी मूल भाषा की पुस्तक की चार-चार प्रतियाँ प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
 - प्रारम्भ में विगत दो वर्ष की प्रकाशित/अनूदित पुस्तकें प्रविष्टि हेतु आमंत्रित की जाएंगी। तत्पश्चात वर्ष 2027 से एक वर्ष पहले अर्थात् संबंधित कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान अनूदित व प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य होंगी।
- लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक पुस्तक में दिए गए आँकड़ों, तथ्यों आदि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं उनके प्रमाण में जहाँ तक संभव हो, संदर्भ देंगे।

- (ix) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की किसी भी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सह-लेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सह-लेखक को पुरस्कार में अनुपातिक राशि ही प्रदान की जाएगी।
- (x) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो।
- (xi) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्राप्त प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- (xii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बाँट दी जाएगी।
- (xiii) पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल आईएसबीएन (ISBN) वाली पुस्तकों को ही शामिल किया जाएगा।

8. प्रविष्टि भेजने की विधि:—

- (i) प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाए अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार प्रतियाँ भेजी जाएं। प्रतियाँ वापस नहीं की जाएंगी।
- (iii) विधिवत भरा हुआ प्रविष्टि प्रपत्र विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक पहुँच जानी चाहिए।
- (iv) एक लेखक/अनुवादक केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।

9. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया:—

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी। समिति में आवश्यकतानुसार सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर-सरकारी, प्रतिष्ठित विद्वान/विशेषज्ञ भी शामिल किए जा सकते हैं। समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:—

(i)	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	अध्यक्ष
(ii)	दो गैर सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाएंगे	सदस्य
(iii)	निदेशक/उप-निदेशक (कार्यान्वयन) अथवा विभाग द्वारा नाम-निर्देशित विभाग में कार्यरत समकक्ष अधिकारी	सदस्य-सचिव

- (i) प्रविष्टि भेजने वाले लेखक/अनुवादक के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में शामिल नहीं किए जाएंगे।
- (ii) प्रविष्टियों के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित मंत्रालय/विभाग के एक पदाधिकारी को मूल्यांकन समिति में जगह दी जा सकती है।
- (iii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय लेने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले।
- (iv) मूल्यांकन के मानदंड मूल्यांकन समिति स्वयं निर्धारित करेगी।
- (v) पुरस्कार प्रदान करने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- (vi) मूल्यांकन समिति में शामिल सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है। समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।
- (vii) मूल्यांकन समिति के बाहरी विशेषज्ञ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी पात्र होंगे।
- (viii) मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा लिया जाएगा।

10. पुरस्कार विजेताओं और पुरस्कार वितरण के बारे में घोषणा:—

- (i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र/ईमेल द्वारा भेजी जाएगी तथा उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- (ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा।

11. सामान्य सूचना:—

- (i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक/अनुवादक/प्रकाशक का कॉपीराइट बना रहेगा।
- (ii) पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित अथवा वायुयान (इकोनोमी श्रेणी) का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था उन्हें स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
- (iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में किसी प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

12. योजना को शिथिल करने का अधिकार:—

जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इस संकल्प के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डॉ. निधि पाण्डेय

संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

“भारत के नागरिकों के लिए हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना”

प्रपत्र

कृपया संबंधित पुरस्कार योजना, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, को चिह्नित करें।

(क)	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	
(ख)	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	
(ग)	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	
(घ)	‘ग’ क्षेत्र के लेखक द्वारा हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।	
(ङ)	हिन्दी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार – कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।	

1. पुरस्कार योजना का वर्ष :
2. पुस्तक का नाम :
3. (i) लेखक/सह-लेखक/अनुवादक/सह-अनुवादक का नाम :
- (ii) पूरा पता (पिन कोड सहित) :
- (iii) दूरभाष :
- (iv) मोबाइल संख्या ईमेल

4. (i) प्रकाशक का नाम.....
 (ii) प्रकाशक का पूरा पता
 (iii) प्रकाशन का वर्ष
5. क्या मौलिक पुस्तक/अनूदित पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हाँ/नहीं
 यदि हाँ, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें

6. लेखक की मातृभाषा ('ग' क्षेत्र के लेखकों के लिए)
7. क्या 10वीं व 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई है ? हाँ/नहीं ('ग' क्षेत्र के लेखकों के लिए)
8. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि-
 (i) मैं पुत्र/पुत्री श्री भारतीय नागरिक हूँ।
 (ii) मैंने पुस्तक मूल रूप से हिन्दी में लिखी/अनूदित की है।
 (iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। पुस्तक में दिए गए आँकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।
9. मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं उपर्युक्त मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी।
 स्थान.....
 दिनांक

लेखक/सह लेखक/अनुवादक/सह-अनुवादक के हस्ताक्षर

नोट 1. जो लागू न हो, उसे काट दें।

नोट 2. पुस्तक के एक से अधिक लेखक/अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह-अनुवादक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110001, the 9th March 2026

RESOLUTION

No.11034/01/2023-O.L.(Policy)—A revised award scheme named 'Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojna' from the year 2025-26 is introduced by the Department of Official Language, with an objective to encourage writing books originally in Hindi and to promote Official Language, in supersession of earlier Resolution No. 11034/01/2023-O.L.(Policy) dated 22.06.2023. Under the scheme, the citizens of India will be awarded in the following categories and subjects:—

- (A) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology and contemporary topics like Liberalisation, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution.
- (B) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi on the subjects of Law and Police Research, Forensic Science, Criminology and Police Administration etc.
- (C) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage etc.
- (D) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi by the author of 'C' region (on the subjects of all the above categories).
- (E) Rajbhasha Gaurav Puraskar for books translated in Hindi – For translated books on classics and subjects related to culture, art, heritage.

2. Name: The name of the scheme shall be "Rajbhasha Gaurav Puraskar Scheme."

3. Definitions: In this scheme, unless the context otherwise requires:—

- (i) "Scheme" means :- Books originally written in Hindi on the subjects mentioned in categories (a) to (c) above. In addition, "Rajbhasha Gaurav Puraskar Scheme" for nationally/internationally awarded books on subjects like culture, arts, heritage, classic work and translated books of renowned authors, scholars and personalities in Hindi.
- (ii) "Original" means:- A book originally written in Hindi and published for the first time.
- (iii) "Translated" means a book translated from Indian languages and English into Hindi or a translated book on classic literature.
- (iv) "Book" means "published books".
- (v) "Year" means (a) Scheme year - Financial year (b) Publication year - Calendar Year.
- (vi) A writer from Region C means:—
 - (a) The mother tongue of the author should not be Hindi.
 - (b) The writer must have completed his/her schooling from the respective Region 'C' state. (Region 'C' - All eight North-Eastern states and Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Goa, Jammu & Kashmir, Odisha, Lakshadweep, Pondicherry, and West Bengal.)
- (vii) The subject of translation means:—
 - (a) Hindi translation of books and works of famous authors, scholars and personalities on subjects like culture, arts, heritage, awarded at national/international level.
 - (b) In this category, translated work of books written in the form of departmental manuals, research papers written for Ph.D., poetry, novel, story, drama biography, sketch, reportage, travelogue, memoir etc. or written as a textbook will not be eligible.

4. Objectives:—

- (a) In various ministries/departments/offices/undertakings/banks etc of the Central Government, official work is also undertaken on technical subjects. Due to lack of books on subjects like technical, science, judicial science, police, criminology research, police administration, culture, religion, arts, heritage etc and law there is a difficulty in increasing the use of Hindi in official work. In addition, due to being less familiar with or not familiar with the Hindi vocabulary of these subjects, personnel face difficulties in doing official work in Hindi.
- (b) A new category is being included to encourage original writing in Hindi by authors of 'C' region.

- (c) In addition, translation is an important means of disseminating knowledge and literature in English and Scheduled Indian languages to the Hindi speaking community. In the past years, many good translated books have also been received which could not be included due to not having an award in this category. The vision of Hon'ble Home Minister is to increase coordination between Indian languages and Hindi. Hence, a new category of books translated from English and other Indian languages into Hindi is being included under these awards. Thus, with the objective of promoting original book writing and excellent translated works in Hindi on the above subjects, the Department of Official Language has initiated this scheme.
- (d) Only Department of Official Language has been made the nodal department for different award scheme related to Hindi at national level by various Ministries / Departments of Central Government. It shall be mandatory to consult Department of Official Language, Ministry of Home Affairs before launching any other award scheme related to Hindi by any Ministry / Department in future so that repetition of award scheme may be avoided.

5. Details of Awards:—

S. No.	Name of the Award Scheme	Total no. of awards	Payable Amount, Certificate and Memento
A	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology and contemporary topics like Liberalisation, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution	First Prize (One)	₹ 2,00,000/- (Two lakh rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,25,000/- (One lakh twenty five thousand rupees), a certificate and a memento
		Third Prize (One)	₹ 75,000/- (Seventy five thousand rupees), a certificate and a memento
		Incentive Award (Three)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), a incentive Certificate and a memento
B	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi on the subjects of Law and Police Research, Forensic Science, criminology and police administration etc.	First Prize (One)	₹ 1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a certificate and a memento
		Incentive Award (Two)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), a incentive Certificate and a memento
C	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage	First Prize (One)	₹ 1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a certificate and a memento
		Incentive Award (Two)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), a incentive Certificate and a memento
D	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi by the author of 'C' region (on the subjects of all the above categories).	First Prize (One)	₹1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a certificate and a memento
		Incentive Award (Two)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), a incentive Certificate and a memento
E	Rajbhasha Gaurav Puraskar for books translated in Hindi – For translated books on classics and subjects related to culture, art, heritage.	First Prize (One)	₹1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a certificate and a memento
		Incentive Award (Two)	₹40,000/- (Rupees Forty Thousand), a incentive Certificate and a memento

6. Eligibility:—

- (i) The author / co-author or translator / co-translator should be a citizen of India.
- (ii) The book should be written / translated on the subject as described in the above table.

7. General Conditions:—

- (i) In case of more than one author / translator of the book, each co-author / co-translator must fill the proforma separately.
- (ii) Only books/Translation which are original work of the author / translator are admissible for award under the scheme.
- (iii) Books awarded previously by any government organisation will not become eligible. The author/translator of the book must inform Department of Official Language immediately if the book is awarded under any other award scheme before the declaration of the awards under the above mentioned schemes.
- (iv) Under the scheme, books published during 1st January to 31st December are acceptable.
- (v) The Content of the book should be critical and analytical. Research work for PhD, poetry, novel, story, drama or book written in the form of text book will not be eligible for this award scheme.
- (vi) Conditions related to author of 'C' Region means:—
 - (a) The mother tongue of the author should not be Hindi.
 - (b) The writer must have completed his/her schooling from the respective Region 'C' state. (Copy of 10th and 12th class certificate is required as proof). (Region 'C' - all eight North Eastern states, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Goa, Jammu & Kashmir, Odisha, Lakshadweep, Pondicherry, and West Bengal.)
- (vii) Conditions relating to the category of translation means:—
 - (a) This category includes Hindi translation of books and works of famous authors, scholars and personalities on subjects like Culture, Art, Heritage, awarded at national/international level.
 - (b) In this category, translated work of books written in the form of departmental manuals, research papers written for Ph.D., poetry, novel, story, drama biography, sketch, reportage, travelogue, memoir etc. or written as a textbook will not be eligible.
 - (c) Under this category, it will be mandatory for the author to send four copies of the translated book as well as the book in its original language.
 - (d) Initially, books published/translated in the last two years will be invited for entry. Thereafter, translated and published books published one year prior to 2027, i.e., between January 1 and December 31 of the respective calendar year, will be accepted.
- (viii) The author/co-author or translator/co-translator will be responsible for facts and figures given in the book and must give references wherever possible as proof.
- (ix) If a person has received a prize under any scheme of Department of Official Language during the preceding three years, his/her entry shall not be considered. However, a co-author, (if any) can participate in the scheme. The co-author will be given the amount proportionately.
- (x) The books should contain at least 100 pages.
- (xi) If the Evaluation Committee arrives at a conclusion that none of the books, received as entries, is suitable for the award, decision of the committee in this regard will be considered as final.
- (xii) In case the book selected for the award has more than one author the award money will be divided equally among them.
- (xiii) Only books with ISBN will be accepted under the scheme.

8. Procedure for sending the entries:—

- (i) The entry should be sent along with the proforma given at Annexure; otherwise the same would not be accepted.
- (ii) Kindly send three copies of the book invariably with each entry. The copies will not be returned.
- (iii) Duly filled entry form should reach by the last date fixed by the department.
- (iv) An author/translator may send only one entry under the scheme.

9. Evaluation procedure of Books:—

Books will be evaluated by a committee constituted by Department of Official Language based on the criteria set by Department of Official Language. Joint Secretary, Department of Official Language will be the Chairperson of the committee.

If necessary, Committee may include non-official renowned scholars/experts along with official members. The Committee will comprise of the following:—

(i)	Joint Secretary, Department of Official Language	Chairperson
(ii)	Two non- official persons, who will be nominated by the Department of Official Language every year	Member
(iii)	Director/Deputy Director (Implementation) or equivalent officer working in the Department nominated by the Department	Member-Secretary

- (i) Next of kin of the authors/translators, who are sending their entries, will not be included in the Evaluation Committee.
- (ii) An official from the Ministry/Department concerned with the subject may be included in the Evaluation Committee for evaluation of the entries.
- (iii) The Evaluation Committee shall have the right to take advice from specialists/experts of the subject before deciding on a book.
- (iv) The evaluation committee will determine the assessment criteria themselves.
- (v) In the absence of consensus about the award the decision will be made by majority. In case for and against votes are equal on any decision, then the Chairperson shall have the right to vote to arrive at a decision.
- (vi) The official members of the Evaluation Committee will get TA/DA from the source, from where they get their salaries. The non-governmental members will be entitled to travelling allowance and daily allowance as per instructions issued by the Government from time to time and applicable during the period.
- (vii) The experts of the Evaluation Committee will also be entitled to honorarium as determined by the Department of Official Language.
- (viii) The Department of Official Language will take decision on recommendations made by the Evaluation Committee.

10. Declaration about Prize Winners and Prize Distribution:—

- (i) Decision regarding the award will be intimated through a letter/email to all the awardees and placed on the website of Department of Official Language also.
- (ii) Distribution of the Awards will be held on the date fixed by the Department of Official Language.

11. General information:

- (i) Copyright on the award winning book will remain with the Authors/Publishers/Translators.
- (ii) The awardees traveling from outside the designated place for receiving the award will be provided with IInd Class AC or Air fare (economy class) for travelling to and fro, daily allowance as per Government of India rules and accommodation will have to be arranged at their own cost.
- (iii) No correspondence regarding conferment of the award or procedure for selection of a book for the award will be entertained.

12. Right to relax the scheme:—

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, relax any provision of this resolution by giving reasons therefor in writing.

ORDER

IT IS HEREBY ORDERED that a copy of this resolution should be communicated to the all Ministries/Departments, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, NITI Aayog, The Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Secretariat of all the State Governments and UT Administrations.

It is also ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for public information.

DR. NIDHI PANDEY
Joint Secretary

“Rajbhasha Gaurav Puraskar Scheme to Citizens of India for writing original book in Hindi”

PROFORMA

Please mark the relevant Award Scheme for which the entry is being sent.

A	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Engineering, Electronics, Computer Science, Physics, Biology, Energy, Space Science, Medicine, Chemistry, Information Technology, Management, Psychology and contemporary topics like Liberalisation, Globalization, Consumerism, Human Rights, Pollution	
B	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi on the subjects of Law and Police Research, Forensic Science, Criminology and Police Administration etc.	
C	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage	
D	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original books in Hindi by the author of 'C' region (on the subjects of all the above categories).	
E	Rajbhasha Gaurav Puraskar for books translated in Hindi – For translated books on classics and subjects related to culture, art, heritage.	

1. Year of the Award Scheme.....
2. Title of the book.....
3. (i) Name of the Author/Co author/translator/co-translator
- (ii) Full Address (with Pin code).....
-
-
- (iii) Telephone No.
- (iv) Mobile No. E-mail.....
4. (i) Name of the publisher.....
- (ii) Full Address of the publisher.....
-
-
- (iii) Year of publishing.....
5. Has the original book/translated book been awarded by any Government organization previously? Yes/No.
- If yes, please give full details thereof.....
-
-
6. Native language of author (for authors from 'C' region).....
7. Have copies of Class 10th and 12th certificates been enclosed ? Yes / No
- (For authors in 'c' region)
8. I certify that
- (i) I..... son/daughter of citizen of India.

(ii) I have written / translated the book originally in Hindi.

(iii) The entry of my book into this scheme does not infringe upon the copyright of any other person. I am personally responsible for the figures and facts given in the book

8. I promise to abide by the regulations of the Rjbhasha Gaurav Puraskar Scheme for writing original book.

Place:

Date:

Signature of Author/Co-author/translator/co-translator

Note 1. Strike off whichever is not applicable.

Note 2. In case of author/translator being more than one, each co-author/co-translator shall fill the above proforma separately.